रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-01052020-219267 CG-DL-E-01052020-219267

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1259] No. 1259] नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 1, 2020/वैशाख 11, 1942 NEW DELHI, FRIDAY, MAY 1, 2020/VAISAKHA 11, 1942

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

शद्धि-पत्र

नई दिल्ली, 1 मई, 2020

का.आ. 1407 (अ).—का.आ. 770(अ). दिनांक 20 फरवरी, 2020 के द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखण्ड (ii) में प्रकाशित पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के "बैटरी अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2020" के संबंध में प्रारूप अधिसूचना के पृष्ठ 1 में, पंक्ति 8 में, "साठ दिनों की अविध की समाप्ति पर" के स्थान पर "नब्बे दिनों की अविध की समाप्ति पर" पढ़ा जाए। पृष्ठ 1, पंक्ति 13 में, ईमेल पता: satyendra.kumar07@ips.gov.in जोड़ा गया है।

[फा. सं. 12/36/2019 -एचएसएमडी]

गीता मेनन, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE CORRIGENDUM

New Delhi, the 1st May, 2020

S. O. 1407(E).—In the draft notification regarding 'Battery Waste Management Rules, 2020' of the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), vide number S.O. 770 (E), dated the 20th February, 2020 in page 1, in line 8, for "expiry of sixty days" read "expiry of ninety days". In page 1, in line 15, email address: satyendra.kumar07@ips.gov.in is added.

[F. No. 12/36/2019-HSMD] GEETA MENON, Jt. Secy.

1928 GI/2020